कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोडरमा।

पत्रांक 1923/अभि0 दिनांक 28/9/2015

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
कोडरमा।

DD(DasJi)

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
झारखण्ड सरकार, रांची।

14 OCT 2015

विषय– जिला स्तरीय Corporate Social Responsiblity (CSR) समिति के गठन एवं कार्यकलाप के प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक–2891 रांची, दिनांक–18.09.2015,

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में सूचित करना है कि कोडरमा जिला में दिनांक 06.07.2015 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय Corporate Social Responsiblity (CSR) समिति गठित कर ली गई है।

अतः जिला स्तरीय Corporate Social Responsiblity (CSR) समिति की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त

विश्वासभाजन

28/09/2015

उप विकास आयुक्त,
कोडरमा।

c/D/pathak/1134

220

दिनांक-06.07.2015 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय Corporate Social Responsiblity (CSR) समिति गठित करने तथा संबंधित अन्य मुद्दों पर बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

1. उपायुक्त, कोडरमा
2. उप विकास आयुक्त, कोडरमा
3. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-
   मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कोडरमा
4. जिला योजना पदाधिकारी, कोडरमा
5. कार्यपालक अभियंता,
   पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, कोडरमा
6. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा
7. जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा
8. जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा
9. प्रबंधक (SIP), बांझेडीह, DVC, KTPS, कोडरमा
10. चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झुमरी तिलैया, कोडरमा(अध्यक्ष)
11. कोडरमा जिलान्तर्गत Corporate से जुड़े कंपनियों के प्रतिनिधि

कार्यवाही:-

विर्मशोंपरांत/विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गये।

- सर्वप्रथम Corporate जगत के समाज के विकास में उनकी भागीदारी/जवाबदेही पर चर्चा की गई। चर्चा के क्रम में उनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, योजना एवं विकास, कला, संस्कृति, खेल-कुद, कौशल उन्नयन इत्यादि के क्षेत्रों में उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए सभी संबंधित को अपेक्षित कार्यक्रम की सूची उपलब्ध करायी गई।
- उपायुक्त महोदय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि New Companies Act 2013 की धारा-135 के प्रावधानों के तहत वैसी कम्पनियां जिसका net worth 500 (पांच सौ) करोड़ या अधिक/Turnover 1000 (एक हजार) करोड़ या अधिक एक वित्तीय वर्ष का मुनाफा 5 (पांच) करोड़ या अधिक हो उनसे शुद्ध मुनाफा (Net Profit) का 2% Corporate Social Responsiblity (CSR) से संबंधित योजनाओं में खर्च किये जाने का प्रावधान है।
- उपस्थित कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों से समाज के विकास में/ इससे संबंधित आवश्यक बिन्दुओं पर एक साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया गया।
- यह भी निर्णय लिया गया कि किसी योजना को कार्यान्वित करने में लागत राशि अधिक हो तो वैसी परिस्थिति में कुछ Corporate जगत के लोग आपस में मिलकर वैसी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते है।
- जिले में एक Indoor Stadium की आवश्यकता है। कुछ कम्पनियां आपस में मिलकर इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव दे सकते है।
- प्रबंधक SIP बांझेडीह, DVC (KTPS) कोडरमा द्वारा बताया गया कि SIP (Social Integrated Programme) के तहत उनके द्वारा राशि खर्च की जा रही है। उपायुक्त महोदय ने स्पष्ट किया की यह कार्यक्रम CSR activities से

225

भिन्न है, इसके अलावे उनके स्तर CSR activities मे सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई।

- प्राप्त निदेशानुसार CSR समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया:-

i. उपायुक्त, कोडरमा -	अध्यक्ष
ii. उप विकास आयुक्त, कोडरमा-	सदस्य
iii. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कोडरमा-	सदस्य
iv. जिला योजना पदाधिकारी, कोडरमा-	सदस्य
v. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, कोडरमा -	सदस्य
vi. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा-	सदस्य
vii. जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा-	सदस्य
viii. जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा-	सदस्य
ix. प्रबंधक (SIP), बांझेडीह, DVC, KTPS, कोडरमा-	सदस्य

- इसके अलावे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झुमरी तिलैया, कोडरमा के प्रतिनिधि के रूप में श्री श्यामसुन्दर सिंघानियां, (अध्यक्ष) चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झुमरी तिलैया, कोडरमा नामित किये गये।
- जिले में संस्थापित पांच बड़े कम्पनियों के प्रतिनिधि को CSR समिति के सदस्य के रूप में निम्नप्रकार नामित किया गया:-

  i श्री कवि याज्ञनिक, (Plant Head) एवं श्री कुमार विवेक, ए0जी0एम0 (Commercial) सुपर ढसमेलटर्स लि0, बाईपास रोड, झुमरीतिलैया, कोडरमा

  ii श्री विनोद कुमार बजाज एवं श्री प्रतीक अग्रवाल जयदुर्गा आयरन लि0, झरनाकुण्ड, झुमरीतिलैया, कोडरमा।
- DVC बांझेडीह, कोडरमा से अनुरोध किया गया है कि Activities की सूची के साथ विस्तृत विवरणी सम्बधित प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेगें।
- सभी Corporate से जुड़े प्रतिभागियों से वित्तीय वर्ष (2015-16) में संभावित योजनाओं के संबंध में 7 दिनो के अन्दर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

गठित जिला स्तरीय Corporate Social Responsiblity (CSR) समिति से अनुरोध किया गया तथा अपेक्षा की गयी कि वे कोडरमा जिले के विकास में अपना सक्रिय योगदान देगें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

sd/- 26/7/15

उपायुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक 1372/अभि0 दिनांक 30/7/15

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित पदाधिकारियों/सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

sd/- 30/07/2015

उप विकास आयुक्त,
कोडरमा